

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/85  
मुकदमा नम्बर 39/2024

दर्ज दिनांक-15.03.2024

सजना देवी पत्नी वृजलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड हाल आबाद चेलासी तहसील नवलगढ़  
जिला झुझुनू(राज.)

बनाम

1. बलवीर पुत्र मूल्ला जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
2. शान्ति पत्नी मूल्ला जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
3. सोहनलाल पुत्र मूला जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
4. बबिता पुत्री जोगेन्द्र जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
5. संतोष देवी पुत्री जोगेन्द्र जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
6. सुनीता पुत्री जोगेन्द्र जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जोगेन्द्र जाति मीणा निवासी चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)

वकील आवेदक :- श्री महेश कुमार नारनोलिया

अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 :- एकपक्षीय

अनावेदक संख्या 8 :- परो.राज

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 07.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम चेलासी पटवार हल्का चेलासी की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1054/455 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1057/456 रकबा 1.8500 हैक्टर की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने से इस प्रकरण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक संख्या 8 की ओर से परो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02/04/2017 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम चेलासी पटवार हल्का चेलासी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1054/455 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1057/456 रकबा 1.8500 हैक्टर का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में पत्थरगढ़ी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू